

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17

दिनांक/26/8/2016

कार्यालय ज्ञाप

वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 2131/सेक-2-पांच-16-4(79)/2008, दिनांक 13.06.2016 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत महानिदेशालय के स्थानान्तरण आदेश संख्या 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/ टी0सी0/ 2016-17/ 1130-36 दिनांक 30.06.2016 के द्वारा क्रम संख्या-67 पर जनहित में श्री हरीश चन्द्र शर्मा, प्रयोगशाला सहायक, ग्राम्य का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर के अधीन किया गया स्थानान्तरण विकलांग संबंधित प्रमाणपत्र प्राप्त होने के उपरान्त विकलांग-नीति के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त कर्मचारी अपनी पूर्ववर्ती तैनात स्थान पर तैनात रहेंगे।

(जी0के0कुरील)

निदेशक स्वास्थ्य

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/3140-18 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2 विशेष सचिव, उ0प्र0, शासन चिकित्सा अनुभाग-1
- 3 संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- 4 मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ / हमीरपुर।
- 5 मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी आजमगढ़ / हमीरपुर।
- 6 प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
- 7 गार्ड फाइल।

(उमेश सिंह प्रदेव)

संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17

दिनांक/ ^{जुलाई} /2016

26/8

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-2 की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 के क्रम में निर्मित शासनादेश संख्या 2131/सेक-2-पांच-16-4(79)/2008, दिनांक 13.06.2016 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत महानिदेशालय के स्थानान्तरण आदेश संख्या 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/1130-36 दिनांक 30 जून 2016 के द्वारा क्रम संख्या-153 पर जनहित में श्री राजेश कुमार, प्रयोगशाला सहायक, ग्राम्य का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़ के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर के अधीन किया गया स्थानान्तरण दम्पति नीति संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत दम्पति-नीति के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त कर्मचारी अपनी पूर्ववर्ती तैनाती स्थान पर तैनात रहेंगे।

महानिदेशालय के आदेश दिनांक 30.06.2016 के क्रम संख्या-153 में अंकित श्री राजेश के स्थान पर श्री राजेश कुमार, पढ़ा जायें।

(जी0के0कुरील)
निदेशक स्वास्थ्य

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/3088-96 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0, शासन चिकित्सा अनुभाग-1
3. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी अलीगढ़ / हमीरपुर।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अलीगढ़ / हमीरपुर।
6. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड फाइल।

(उमेश सिंह यादव)
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य